न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 66–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–11–15 पारित द्वारा तहसीलदार, टिमरनी जिला हरदा प्रकरण क्रमांक 07/अ–13/2014–15.

संजय आ. रामचन्द्र राव गद्रे
निवासी ग्राम टिमरनी
तहसील टिमरनी जिला हरदा .....आवेदक

विरूद्ध

रामशंकर आ. बाबूलाल गौर
निवासी ग्राम टिमरनी
तहसील टिमरनी जिला हरदा .....अनावेदक

श्री बी0एस0 चौहान, अभिभाषक, आवेदक
श्री मोहन ठाकुर, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/10/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, टिमरनी जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–11–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, टिमरनी के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बारजा में उसके स्वामित्व की भूमि स्थित है, जिस पर आने–जाने का एकमात्र रास्ता तालपानी एवं मेड़ा से होकर जाता है । उक्त रास्ते को आवेदक द्वारा बखरकर नष्ट कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । साथ ही अंतरिम तौर से रास्ता खुलवाये जाने हेतु संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/अ–13/2014–15 दर्ज कर दिनांक 17–11–2015 को अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ते को प्रकरण के निराकरण तक खुलवाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार के समक्ष राजस्व निरीक्षक द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि अनावेदक पक्का रास्ता चाहता है, और अस्थायी मार्ग नहीं चाहता है, इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता उपलब्ध कराने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(2) पूर्व में तहसील न्यायालय द्वारा तालपानी से रास्ता बनाये जाने का आदेश दिया गया था, और अनावेदक द्वारा उस पर पुलिया बनाकर रास्ता बना लिया था, इसलिए उसे दोबारा संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था ।

(3) तालपानी से रास्ता प्रकरण के निराकरण तक खुलवाये जाने के बाद भी अनावेदक द्वारा आदेश दिनांक 17–11–2015 से हटकर नाले पर पुलिया का निर्माण कर लिया गया है, जो कि विधि विरूद्ध कार्यवाही है ।

(4) आवेदक की भूमि के बीच में एक तालपानी का नाला बना हुआ है, और उस नाले में कई खेतों का पानी निकलता है । अनावेदक की भूमि तालपानी के नाले के उत्तर तरफ है, और उत्तर तरफ से होते हुए पश्चिम दिशा से होकर दक्षिण तरफ बारजा टिमरनी मुख्य मार्ग है, जिससे अनावेदक आ–जा सकता है । प्रश्नाधीन रास्ते से निकलने में आवेदक को असुविधा होती है ।

(5) अनावेदक द्वारा एक ओर पुलिया की अनुमति लिये बगैर प्रारंभिक आदेश की आड़ में नाले का प्राकृतिक बहाव में अवरोध पैदा किया गया है, जिससे आवेदक की कृषि भूमि जल मग्न हो रही है, और आवेदक, अनावेदक को परेशान कर रहा है ।

(6) इस न्यायालय को संहिता की धारा 50 के अंतर्गत विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं, अतः यह न्यायालय प्रश्नाधीन आदेश ही नहीं ऐसे सभी आदेशों की जांच कर सकता है, जिससे पक्षकार व्यथित हो ।

तर्कों के समर्थन में 2004 आर.एन. 367, 2013 आर.एन. 118, 1998 आर.एन. 377, 1996 आर.एन. 345, 1971 आर.एन. 584 एवं 2000 आर.एन. 177 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक शासकीय मेड़ से होकर तालपानी की जमीन सर्वे नम्बर 96 से होकर अपनी भूमि पर पहुंचता है । उक्त मार्ग को आवेदक द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, जिसे खुलवाने का आदेश पारित करने में तहसील न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । (2) तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत टी.सी.एस. मशीन से सीमांकन किया जाकर रास्ता खुलवाने का आदेश दिया गया है, जो कि उचित है ।

(3) आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष तोड़–मरोड़ कर तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है । जैसे उक्त तालपानी की भूमि से निकलने का किसी को अधिकार नहीं है तथा पुलिया बनाकर प्राकृतिक बहाव को अवरूद्ध किया गया है, जो कि स्थल के भौतिक स्थिति के विपरीत है ।

(4) स्थल पंचनामा से स्पष्ट है कि स्वयं आवेदक द्वारा ही शासकीय नाला तालपानी की भूमि का प्राकृतिक बहाव को परिवर्तित किया गया है ।

(5) आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गई थी, और उसका अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र व्यवहार न्यायालय से निरस्त हो चुका है ।

(6) आवेदक के लिए एक मात्र रास्ता, वही है जिसे तहसील न्यायालय द्वारा खुलवाया गया है, और उसे पाने का उसे विधि सम्मत अधिकार है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाय गये आधारों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर, मौके पर रास्ता होना और उसे आवेदक द्वारा अवरूद्ध किया जाना पाते हुए, प्रकरण के निराकरण तक अंतरिम तौर से रास्ता खुलवाया गया है, जो कि पूर्णतः न्यायिक कार्यवाही है । इसके अतिरिक्त चुंकि तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन अवसर उपलब्ध हैं । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, टिमरनी जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–11–15 स्थिर रखा जाकर, निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर